

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "कैमिली प्लानिंग इन्डैमिनिटी उपसमिति" की सम्पन्न हुई 21वीं बैठक दिनांक 21 जनवरी 2023 का कार्यवृत्त।

परिवार नियोजन इन्डैमिनिटी योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "परिवार नियोजन इन्डैमिनिटी उपसमिति" की 21वीं बैठक श्रीमती अपर्णा उपाध्याय, मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 21 जनवरी 2023 (दिन-शनिवार) को सांयकाल 5:00 बजे जूम लिंक के माध्यम से बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति निम्नवत् रही:-

- (1) डा० रेनु श्रीवास्तव वर्मा,
महानिदेशक
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- संयोजक
- (2) डा० सतेन्द्र कुमार,
संयुक्त निदेशक(प०क०),
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- सदस्य सचिव
- (3) डा० दीपिका सेठ,
कन्सलटंट(स्त्री रोग विशेषज्ञ)
दीरागना अक्वनीबाई महिला चिकित्सालय,
गोलागाँज, लखनऊ।
- सदस्य
- (4) डा० ए०के० शर्मा,
दरिद्र परामर्शदाता, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल,
हजरतगंज, लखनऊ।
- सदस्य

- (5) डा० रिकू श्रीवास्तव,
महाप्रबन्धक(परिवार नियोजन),
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- विशेष आमंत्रित
- (6) श्रीमती संतोष कुमारी रावत,
प्रधान सहायक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- विशेष आमंत्रित
- (7) श्री अरविन्द उपाध्याय,
कन्सलटेंट(परिवार नियोजन),
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- विशेष आमंत्रित

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से डा० सतेन्द्र कुमार, संयुक्त निदेशक(पंक०) द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया।
तत्पश्चात बैठक प्रारम्भ करते हुये एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा मद संख्या:-01

(गत बैठक दिनांक 24 सितम्बर 2022 की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या)

सर्वप्रथम समिति के समक्ष गत बैठक दिनांक 24 सितम्बर 2022 का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। मिशन निदेशक महोदया द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा मद संख्या:-02

(प्रगति का विवरण)

डा० सतेन्द्र कुमार, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक "परिवार नियोजन इण्डेभिनिटी उपसमिति" की कुल 20 बैठकें सम्पन्न हो चुकी है। योजना के प्रारम्भ से अब तक राज्य स्तर पर कुल प्राप्त क्लेम फार्मों व उनके सापेक्ष निस्तारित दावा प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है:-

- (1) विगत बैठकों में सभिति के समक्ष प्रस्तुत दावा प्रपत्रों की संख्या:- 4864
- (2) विगत बैठकों में प्रस्तुत दावों के सापेक्ष स्वीकृत दावों की संख्या:- 4002
- (3) विगत बैठकों में प्रस्तुत दावों के सापेक्ष अस्वीकृत दावों की संख्या:- 862
- (4) परीक्षणोपरान्त आज की बैठक दिनांक 21 जनवरी 2023 में निस्तारणार्थ प्रस्तुत दावों की संख्या:- 584

एजेण्डा मद संख्या:-03

(बैठक में प्रस्तुत किये गये विभिन्न जनपदों से प्राप्त दावा प्रपत्रों का विवरण)

क्र० सं०	जनपद का नाम	प्रस्तुत दावों का विवरण			कुल दावा प्रपत्रों की संख्या
		गर्भधारण	दावा प्राप्त जटिलता	मृत्यु	
1	बाराबंकी	41	0	0	41
2	बलरामपुर	3	0	0	3
3	उन्नाव	8	0	0	8
4	शाहजहाँपुर	22	0	0	22

5	अमेठी	13	0	2	15
6	मेरठ	9	0	0	9
7	बदायूँ	13	0	0	13
8	सीतापुर	19	0	0	19
9	बुलन्दशहर	66	0	0	66
10	अलीगढ़	62	0	1	63
11	बांदा	1	0	0	1
12	बरेली	10	0	0	10
13	गोण्डा	11	0	0	11
14	देवरिया	15	0	0	15
15	गार्जीपुर	6	0	0	6
16	हरदोई	26	0	0	26
17	हापुड	16	0	0	16
18	शेनपुरी	7	0	0	7
19	लखनऊ	3	0	0	3
20	पीलीभीत	14	0	0	14
21	बहराइच	11	0	0	11
22	कानपुर देहात	26	0	0	26
23	मथुरा	13	1	0	14
24	रामपुर	8	0	0	8
25	आगरा	31	0	0	31
26	मुजफ्फर नगर	12	0	0	12
27	हाथरस	20	0	0	20
28	वाराणसी	5	0	1	6
29	मिर्जापुर	1	0	0	1
30	महोबा	3	0	0	3
31	इटावा	14	0	0	14
32	कुशीनगर	10	0	0	10

33	फिरोजाबाद	7	0	1	8
34	कौशाम्बी	1	0	0	1
35	चित्रकूट	6	0	0	6
36	प्रतापगढ़	3	0	0	3
37	मुरादाबाद	3	0	0	3
38	बस्ती	6	0	0	6
39	हमीरपुर	1	0	0	1
40	अयोध्या	1	0	0	1
41	अमरोहा	17	0	0	17
42	सन्तकबीर नगर	2	0	0	2
43	सुल्तानपुर	8	0	0	8
44	औरैया	4	0	0	4
	योग	578	1	5	584

एजेण्डा नद संख्या:-04

(बैठक में समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों का विवरण)

44 जनपदों से प्राप्त कुल 584 दावा प्रपत्रों (नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण के 578, जटिलता के 01 एवं मृत्यु के 05) को समिति के समक्ष निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 584 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 535 दावा प्रपत्र (जिसमें गर्भधारण के 529 दावा प्रपत्र, जटिलता के 01 एवं मृत्यु के दावा प्रपत्र 05) स्वीकृत किये गये हैं, शेष 49 दावा प्रपत्र(गर्भधारण) अस्वीकृत किये गये, समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये दावा प्रपत्रों का जनपदवार विवरण निम्नवत है:-

1. बाराबंकी:-

जनपद बाराबंकी से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 06, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 20 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 15 कुल 41 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 41 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 39 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 02 दावा प्रपत्रों को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती शैला पत्नी श्री अनिल निवासी केल्टुनआ मजरे सौली थाना व तहसील हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 02.10.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (169 दिन बाद) दिनांक 20.03.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

- श्रीमती पीर अली पत्नी श्री सादिक अली निवासी ग्राम रानी का पुरवा पोस्ट सिद्धौरा जनपद बाराबंकी के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 04.03.2022) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (109 दिन बाद) दिनांक 21.06.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

2. बलरामपुर:-
जनपद बलरामपुर से प्राप्त वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 02 कुल 03 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 03 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

3. उन्नाव:-
जनपद उन्नाव से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 01 कुल 08 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 08 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 08 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

4. शाहजहाँपुर:-
जनपद शाहजहाँपुर से प्राप्त वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 21 कुल 22 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 22 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 22 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

5. अमेठी:-
जनपद अमेठी से प्राप्त वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 06, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 02 व मृत्यु के 02 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 01 कुल 15 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 15 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 14 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 01 दावा प्रपत्रों को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्री मस्तराम पुत्र श्री हरी शरन निवासी पूरे अजीटन मौजा ऊचगाँव जनपद अमेठी के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 27.12.2014) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (194 दिन बाद) दिनांक 09.07.2015 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

10

6. मेरठ:- जनपद मेरठ से प्राप्त वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 06 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 03 कुल 09 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ /परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 09 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 09 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

7. बदायूं:-

जनपद बदायूं से प्राप्त वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 04, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 07 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 01 कुल 13 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ /परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसका परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 13 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 08 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 05 दावा प्रपत्रों को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती रिकी पत्नी श्री रामपाल सिंह निवासी ग्राम दवथरा आसफपुर बदायूं के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण जी पुष्टि (दिनांक 16.12.2018) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (235 दिन बाद) दिनांक 08.03.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती शिखा पत्नी श्री विष्णु निवासी ग्राम सरन मई पोस्ट उसहैत बदायूं के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 17.04.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (148 दिन बाद) दिनांक 12.09.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री वीरेश निवासी ग्राम व पोस्ट कुठरा मझारा दातागंज जनपद बदायूं के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 09.01.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (265 दिन बाद) दिनांक 01.10.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती सुस्मिता रानी पत्नी श्री माखन लाल निवासी ग्राम कड़ा नरसिंहपुर उझानी जनपद बदायूं के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 09.12.2016) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (1012 दिन बाद) दिनांक 17.09.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती रानी पत्नी श्री लाला राम निवासी ग्राम मुल्तापुर जनपद बदायूं के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 28.03.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (98 दिन बाद) दिनांक 04.07.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

8. सीतापुर:- जनपद सीतापुर से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 12 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 06 कुल 19 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 19 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 16 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 03 दावा प्रपत्रों को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती पूजा पत्नी श्री सन्तोष कुमार गौतम निवासी गांधीनगर सिधौली जनपद सीतापुर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 16.01.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (331 दिन बाद) दिनांक 13.12.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती बितान पत्नी श्री हरीश निवासी ग्राम धरमपुर पोस्ट रामकोट जनपद सीतापुर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 03.02.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (210 दिन बाद) दिनांक 31.08.2020 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती लौंग श्री पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी ग्राम राजेपुर हरगाव जनपद सीतापुर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 04.07.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (175 दिन बाद) दिनांक 26.12.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

9. बुलन्दशहर:-

जनपद बुलन्दशहर से प्राप्त वर्ष 2014-15 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 05, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 38 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 21 कुल 66 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 66 दावा प्रपत्रों को सापेक्ष 56 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 10 दावा प्रपत्रों को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती नैना पत्नी श्री गौरव निवासी ग्राम बड़गाँव पोस्ट खुर्जा बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 27.09.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (99 दिन बाद) दिनांक 04.01.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह निवासी ग्राम खड़वा जे०बाद बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 08.11.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (136 दिन बाद) दिनांक 24.03.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

- श्रीमती लता पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह निवासी रघुनाथपुर ऊँचागाँव बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 16.03.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (181 दिन बाद) दिनांक 13.09.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती राखी पत्नी श्री इन्द्रपाल निवासी निवासी ग्राम बागी नगला, तहसील डिबाई जनपद बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 20.05.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (434 दिन बाद) दिनांक 28.07.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती सबीला पत्नी श्री वशरुद्दीन निवासी ग्राम भोपलपुर पोस्ट सूरजपुर मखैना तहसील अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 08.04.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (112 दिन बाद) दिनांक 29.07.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती लाली पत्नी श्री गजेश निवासी थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 14.04.2014) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (1999 दिन बाद) दिनांक 04.10.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती तबस्सुम पत्नी श्री शहनवाज निवासी मौ० रामनगर गुलावटी जनपद बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 10.03.2022) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (111 दिन बाद) दिनांक 29.06.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती पूनम पत्नी श्री संजय कुमार निवासी हीरपुर नयाराम जनपद बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 19.08.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (238 दिन बाद) दिनांक 14.04.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती कुसुम पत्नी श्री गोपाल निवासी खेड़ा अरनिया जनपद बुलन्दशहर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 25.03.2022) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (153 दिन बाद) दिनांक 25.08.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती स्मिता पत्नी श्री नीरज सिंह निवासी पोथ लखवती के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की पत्नी की नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 07.07.2022) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (104 दिन बाद) दिनांक 19.10.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

10. अलीगढ़:-

जनपद अलीगढ़ से प्राप्त वर्ष 2014-15 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 14, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 20, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 21, मृत्यु के 01 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 04 कुल 63 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 63 दावा प्रपत्रों के संपेक्ष 54 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 09 दावा प्रपत्रों को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री विक्रम सिंह निवासी रायपुर सुनामई जनपद अलीगढ़ के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 25.06.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (102 दिन बाद) दिनांक 05.10.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती आशा बेगम पत्नी श्री सरताज अली निवासी ग्राम बरसी नं० 5 नीहार तालाब भटिण्डा पंजाब जनपद अलीगढ़ के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 04.10.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (117 दिन बाद दिनांक 29.01.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती सोनिया देवी पत्नी श्री राजू निवासी गांव तालिबनगर जनपद अलीगढ़ के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 07.06.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (236 दिन बाद) दिनांक 29.01.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती लाजवती पत्नी श्री राजन निवासी ग्राम महमूदपुर पोस्ट अल्हदादपुर जनपद अलीगढ़ के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 03.11.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (269 दिन बाद) दिनांक 29.07.2020 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती कल्तो पत्नी श्री छोटे निवासी ग्राम व पोस्ट बरौली जनपद अलीगढ़ के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 05.03.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (147 दिन बाद) दिनांक 30.07.2020 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री राम बाबू निवासी ग्राम बलीपुर विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ़ के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 21.01.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (191 दिन बाद) दिनांक 29.07.2020 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती नीलम देवी पत्नी श्री अरविन्द सिंह निवासी गांव कृपारामपुर जहाँ जनपद अलीगढ़ के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 22.06.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (483 दिन बाद) दिनांक 17.10.2020 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

- श्रीमती गुंजन देवी पत्नी श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम जर्वा जनपद अलीगढ़ के दावा प्रपत्र में नरबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 19.07.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (109 दिन बाद) दिनांक 05.11.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती आसमा पत्नी श्री श्री राजमुहम्मद निवासी ग्राम खिटकारी उपकेन्द्र खरई विकास खण्ड धनीपुर जनपद अलीगढ़ के दावा प्रपत्र में नरबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 18.11.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (247 दिन बाद) दिनांक 22.07.2020 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

11. बांदा:-

जनपद बांदा से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के कुल 01 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 01 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

12. बरेली:-

जनपद बरेली से प्राप्त वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 05 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 05 कुल 10 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 10 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 09 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 01 दावा प्रपत्रों को अस्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- श्रीमती राधा पत्नी श्री श्यामपाल निवासी नवादा बिलसंडी फरीदपुर जनपद बरेली के दावा प्रपत्र में नरबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 14.02.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (173 दिन बाद) दिनांक 05.08.2020 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

13. गोण्डा:-

जनपद गोण्डा से प्राप्त वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 08 कुल 11 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 11 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 11 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

14. देवरिया:-

जनपद देवरिया से प्राप्त 2019-20 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 08 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 06 कुल 15 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 15 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 15 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

15. गाजीपुर:-

जनपद गाजीपुर से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 02 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 02 कुल 06 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 06 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 06 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

16. हरदोई:-

जनपद हरदोई से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 05, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 16 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 05 कुल 26 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 26 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 26 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

17. हापुड:-

जनपद हापुड से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 10, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 01 कुल 16 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 16 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 11 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये शेष 05 दावा प्रपत्र अस्वीकृत किया गया:-

- श्रीमती गीता पत्नी श्री सनी निवासी मो० अहाता बस्तीराम रविदास चौक मुक्तेश्वर जनपद हापुड के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 07.08.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (162 दिन बाद) दिनांक 16.01.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती गुलबहार पत्नी श्री दिलशाद पत्नी श्री सुल्तानपुर तारपुर जनपद हापुड के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 25.03.2019) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (148 दिन बाद) दिनांक 20.08.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती पूजा पत्नी श्री नीटू सिंह निवासी मो० उपाध्याय नगर जैन वाली कोलोनी गढ़ मुक्तेश्वर जनपद हापुड के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 01.07.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (259 दिन बाद) दिनांक 17.03.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती रानी पत्नी श्री महेंद्र सिंह निवासी नयाबांस बक्तावरपुर ब्लॉक गढ़ मुक्तेश्वर जनपद हापुड के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 12.06.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (241 दिन बाद) दिनांक 18.02.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती बबली पत्नी श्री धमैन्द्र निवासी जमालपुर सिम्भावली जनपद हापुड के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 15.03.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (162 दिन बाद) दिनांक 24.08.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

18. शैनपुरी:- जनपद शैनपुरी से प्राप्त वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 04 कुल 07 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 07 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 07 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

19. लखनऊ:- जनपद लखनऊ से प्राप्त वर्ष 2021-22 के 02 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 01 कुल 03 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 03 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

20. पीलीभीत:- जनपद पीलीभीत से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 12 एवं वर्ष 2022-23 के 01 कुल 14 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 14 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 13 दावा प्रपत्रा स्वीकृत किये गये शेष 01 दावा प्रपत्र अस्वीकृत किया गया:-

- श्रीमती दीपा देवी पत्नी श्री अभित कुमार निवासी मो० दुर्गाप्रसाद बीसलपुर जनपद पीलीभीत के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 02.06.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (173 दिन बाद) दिनांक 02.11.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

21. बहराइच:- जनपद बहराइच से प्राप्त वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 05 कुल 11 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 11 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 11 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

22. कानपुर देहात:- जनपद कानपुर देहात से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 09, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 10 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 03 कुल 26 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 26 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 26 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

23. मथुरा:-

जनपद मथुरा से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 04, मृत्यु के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 04, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 01 कुल 14 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया:-

- परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 14 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 13 दावा प्रपत्रा स्वीकृत किये गये शेष 01 दावा प्रपत्र अस्वीकृत किया गया।
- श्रीमती नगो पत्नी श्री कलुआ निवासी कृष्ण विहार कालोनी मंडी चौराहा मथुरा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 16.10.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (112 दिन बाद) दिनांक 05.02.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

24. रामपुर:-

जनपद रामपुर से प्राप्त वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 04 कुल 08 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 26 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 26 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

25. आगरा:-

जनपद आगरा से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 05, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 05, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 14 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 04 कुल 31 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 31 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 23 दावा प्रपत्रा स्वीकृत किये गये शेष 08 दावा प्रपत्र अस्वीकृत किया गया:-

- श्रीमती सर्वेश पत्नी श्री बबलू निवासी ग्राम व पोस्ट बटेशवर जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 14.03.2022) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (110 दिन बाद) दिनांक 02.07.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री मान सिंह निवासी गांव भवनपुर पोस्ट भवनपुरा जगनेर देहात जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 25.03.2022) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (147 दिन बाद) दिनांक 19.08.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती रूकमीणि पत्नी श्री संजीव कुमार निवासी पक्की तलईया महावीर नगर बाह, आगरा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 29.09.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (307 दिन बाद) दिनांक 02.08.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

- श्रीमती गीता पत्नी श्री प्रेम सिंह निवासी नसौआ पोस्ट बसई जगनेर जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 27.02.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (194 दिन बाद) दिनांक 09.09.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती रश्मी देवी पत्नी श्री सुभाष निवासी नगला हंसराज पोस्ट एल्मादपुर जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 02.06.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (104 दिन बाद) दिनांक 14.09.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती नेमा देवी पत्नी श्री रामलखन निवासी सुरार पोस्ट रुद्रमुली बाह, जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 23.06.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (101 दिन बाद) दिनांक 02.10.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती श्यामवती पत्नी श्री हरिओम निवासी खेर डाडापुरा नस्था ब्लॉक पिनाहट तहसील बाह, जनपद आगरा के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 20.09.2021) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (109 दिन बाद) दिनांक 07.01.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती महारानी पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी ग्राम अभयपुरा अछनेरा जनपद आगराके दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 01.02.2022) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (161 दिन बाद) दिनांक 12.07.2022 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

26. मुजफ्फर नगर:-

- जनपद मुजफ्फर नगर से प्राप्त वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 03 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 04 कुल 12 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 12 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 11 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 01 दावा प्रपत्र अस्वीकृत किया गया:-
- श्रीमती ममता पत्नी श्री नरेश निवासी ग्राम पोस्ट पुरबालियान थाना मन्सुरपुर तहसील खतौली जनपद मुजफ्फर नगर के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 15.09.2020) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (180 दिन बाद) दिनांक 14.03.2021 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

27. हाथरस:-

- जनपद हाथरस से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 11, वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 04 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 03 कुल 20 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 20 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 20 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

28. वाराणसी:-

जनपद वाराणसी से प्राप्त 2020-21 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 03, वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 01, मृत्यु के 01 कुल 06 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 06 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 06 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

29. बिर्जापुर:-

जनपद बिर्जापुर से प्राप्त वर्ष 2022-23 के कुल 01 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 01 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

30. महोबा:-

जनपद महोबा से प्राप्त वर्ष 2015-16 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 02 कुल 03 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 03 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

31. इटावा:-

जनपद इटावा से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 02 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 12 कुल 13 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 13 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 13 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया।

32. कुशीनगर:-

जनपद कुशीनगर से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 07 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01 कुल 10 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 10 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 10 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

33. फिरोजाबाद:-

जनपद फिरोजाबाद से प्राप्त वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के 02 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 05 कुल 08 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 08 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 08 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

34. कौशाम्बी:- जनपद कौशाम्बी से प्राप्त वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के कुल 01 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 01 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

35. चित्रकूट:-

जनपद चित्रकूट से प्राप्त वर्ष 2016-17 के गर्भधारण के 02, वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के 02 एवं वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के कुल 06 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 06 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 04 दावा प्रपत्रों को स्वीकृत किया शेष 02 दावा प्रपत्र अस्वीकृत किया गया:-

- श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री कमलेश निवासी ग्राम बांधी रामनगर जनपद चित्रकूट के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 16.08.2018) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (158 दिन बाद) दिनांक 21.01.2019 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।
- श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री पारस निवासी ग्राम व पोस्ट व्यवहरा पहाड़ी जनपद चित्रकूटी के दावा प्रपत्र में नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि (दिनांक 11.07.2016) को हुई तथा लाभार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि हेतु क्लेम (276 दिन बाद) दिनांक 13.04.2017 को किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि लाभार्थी द्वारा गर्भधारण की जानकारी होने की तिथि से 90 दिन बाद क्लेम किया गया है।

36. प्रतापगढ़:-

जनपद प्रतापगढ़ से प्राप्त वर्ष 2018-19 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 02 कुल 03 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 03 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

37. मुरादाबाद:-

जनपद मुरादाबाद से प्राप्त वर्ष 2017-18 के गर्भधारण के कुल 03 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 03 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 03 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

38. बस्ती:-

जनपद बस्ती से प्राप्त वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के कुल 03 एवं वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 03 कुल 06 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ / परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 06 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 06 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

39. हमीरपुर:- जनपद हमीरपुर से प्राप्त वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के कुल 01 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ /परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 01 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

40. अयोध्या:- जनपद अयोध्या से प्राप्त वर्ष 2019-20 के गर्भधारण के कुल 01 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ /परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 01 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

41. अमरोहा:- जनपद अमरोहा से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01, वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 06 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 10 कुल 17 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ /परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 17 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 17 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

42. सन्तकबीर नगर:- जनपद सन्तकबीर नगर से प्राप्त वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के कुल 02 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ /परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 02 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 02 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

43. सुल्तानपुर :- जनपद सुल्तानपुर से प्राप्त वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 07 एवं वर्ष 2022-23 के गर्भधारण के 01 कुल 08 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ /परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 08 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 08 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

44. औरैया :- जनपद औरैया से प्राप्त वर्ष 2020-21 के गर्भधारण के 01 एवं वर्ष 2021-22 के गर्भधारण के 03 कुल 04 दावा प्रपत्रों को राज्य स्तरीय उपसमिति के समक्ष अवलोकनार्थ /परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा कुल 04 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 04 दावा प्रपत्र स्वीकृत किया गया।

(8)

एजेंडडा मद संख्या:-05

(अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य बिन्दु)

डा० सतेन्द्र कुमार, संयुक्त निदेशक(प०क०)/सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या:52/2019/1115/पांच-9-2019-9(56)/12, दिनांक 21 अगस्त 2019 के माध्यम से नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण/जटिलता/मृत्यु से सम्बन्धित प्रकरणों में लाभार्थियों को प्रदान की जा रही धनराशि को दुगुनी किया गया है परन्तु मद में धनराशि की अतिरिक्त व्यवस्था न होने के कारण विगत बैठकों में स्वीकृत दावा प्रपत्रों का भुगतान दुगुनी दर से अभी तक नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि इस बैठक में भी 346 दावा प्रपत्र ऐसे हैं, जिनका भुगतान दुगुना किया जाना है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि जब तक मद में बजट की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक पूर्व की भाँति इस बैठक में भी शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित 346 दावा प्रपत्रों का भुगतान शासनादेश संख्या:543/पांच-9-14-9(293)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 के अनुसार पूर्व निर्धारित दर से किया जाए।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि:-

1. 10 ऐसे शाल्यक जिनके केसेस अधिक असफल हुए हैं, से वयुर्शल माध्यम से कारण जानने की कोशिश की जाए।

(कार्यवाही-संयुक्त निदेशक(प०क०)/महाप्रबन्धक,प०क०, एन०एच०एम०)

2. उपरोक्त 10 शाल्यकों में से कितने COT team व कितने विभागीय शाल्यक हैं, सम्बन्धित जनपदों से सूचना मांगी जाये।

(कार्यवाही-संयुक्त निदेशक(प०क०)/महाप्रबन्धक,प०क०, एन०एच०एम०)

एजेंडडा मद संख्या:-06

(निर्णय)

1. बिन्दु संख्या-1 शासनादेश संख्या:543/पांच-9-14-9 (293)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 के अनुसार 189 दावा प्रपत्रों की धनराशि रू० 58,35,000/- (रू० अठारवन लाख पैतीस हजार मात्र) का बजट सम्बन्धित जनपदों को आवंटित करने हेतु समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है।

2. बिन्दु संख्या-2 शासनादेश संख्या:52/2019/1115/पांच-9-2019-9(56)/12, दिनांक 21 अगस्त 2019 के अनुसार 346 दावा प्रपत्रों की धनराशि रू० 22120000/- (रू० दो करोड़ इक्कीस लाख बीस हजार मात्र) का बजट सम्बन्धित जनपदों को आवंटित करने हेतु समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है।

61

इस तरह कुल 535 दावा प्रपत्रों की धनराशि रु० 2,79,55,000/- (रु० दो करोड़ उन्चासी लाख पचपन हजार मात्र) का बजट सम्बन्धित जनपदों को आवंटित करने हेतु समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है।

बिन्दु संख्या:1 (समिति द्वारा स्वीकृत किये गये 535 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 189 दावा प्रपत्र ऐसे हैं जिनका भुगतान शासनादेश संख्या: 543/पॉच-9-14-9 (293)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 के अनुसार किया जाना है), बजट का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत दावा प्राप्त			कुल दावा प्रपत्रों की संख्या	कलेम धनराशि			कुल स्वीकृत धनराशि			कुल दावा प्रपत्रों की संख्या
		गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु		गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	
1	बाराबंकी	16	0	0	16	30000	25000	200000	480000	0	0	480000
2	बलरामपुर	3	0	0	3	30000	25000	200000	90000	0	0	90000
3	उन्नाव	1	0	0	1	30000	25000	200000	30000	0	0	30000
4	शाहजहाँपुर	5	0	0	5	30000	25000	200000	150000	0	0	150000
5	अमेठी	10	0	0	10	30000	25000	200000	300000	0	0	300000
6	मेरठ	1	0	0	1	30000	25000	200000	30000	0	0	30000
7	बदायूं	6	0	0	6	30000	25000	200000	180000	0	0	180000
8	सीतापुर	10	0	0	10	30000	25000	200000	300000	0	0	300000
9	बुलन्दशहर	3	0	0	3	30000	25000	200000	90000	0	0	90000
10	अलीगढ़	13	0	0	13	30000	25000	200000	390000	0	0	390000
11	बाँदा	1	0	0	1	30000	25000	200000	30000	0	0	30000
12	बरेली	7	0	0	7	30000	25000	200000	210000	0	0	210000
13	गोण्डा	3	0	0	3	30000	25000	200000	90000	0	0	90000
14	देवरिया	3	0	0	3	30000	25000	200000	90000	0	0	90000
15	गाजीपुर	2	0	0	2	30000	25000	200000	60000	0	0	60000
16	हरदोई	7	0	0	7	30000	25000	200000	210000	0	0	210000
17	हापुड़	4	0	0	4	30000	25000	200000	120000	0	0	120000
18	मैनपुरी	1	0	0	1	30000	25000	200000	30000	0	0	30000
19	लखनऊ	0	0	0	0	30000	25000	200000	0	0	0	0
20	पीलीभीत	1	0	0	1	30000	25000	200000	30000	0	0	30000
21	बहराइच	6	0	0	6	30000	25000	200000	180000	0	0	180000
22	कानपुर देहात	11	0	0	11	30000	25000	200000	330000	0	0	330000
23	मथुरा	9	1	0	10	30000	25000	200000	270000	25000	0	295000

24	रामपुर	2	0	0	2	30000	25000	200000	60000	0	0	60000
25	आगरा	11	0	0	11	30000	25000	200000	330000	0	0	330000
26	मुजफ्फर नगर	6	0	0	6	30000	25000	200000	180000	0	0	180000
27	हाथरस	12	0	0	12	30000	25000	200000	360000	0	0	360000
28	वाराणसी	0	0	0	0	30000	25000	200000	0	0	0	
29	मिर्जापुर	0	0	0	0	30000	25000	200000	90000	0	0	90000
30	महोबा	3	0	0	3	30000	25000	200000	60000	0	0	60000
31	इटवा	2	0	0	2	30000	25000	200000	150000	0	0	150000
32	कुशीनगर	5	0	0	5	30000	25000	200000	180000	0	200000	380000
33	फिरोजाबाद	6	0	1	7	30000	25000	200000	0	0	0	120000
34	कौशाम्बी	0	0	0	0	30000	25000	200000	120000	0	0	30000
35	चित्रकूट	4	0	0	4	30000	25000	200000	30000	0	0	90000
36	प्रतापगढ़	1	0	0	1	30000	25000	200000	90000	0	0	90000
37	मुरादाबाद	3	0	0	3	30000	25000	200000	90000	0	0	90000
38	बस्ती	3	0	0	3	30000	25000	200000	0	0	0	30000
39	हमीरपुर	0	0	0	0	30000	25000	200000	30000	0	0	60000
40	अयोध्या	1	0	0	1	30000	25000	200000	60000	0	0	0
41	अमरोहा	2	0	0	2	30000	25000	200000	0	0	0	0
42	सन्तकबीर नगर	0	0	0	0	30000	25000	200000	60000	0	0	60000
43	सुल्तानपुर	2	0	0	2	30000	25000	200000	30000	0	0	30000
44	औरैया	1	0	0	1	30000	25000	200000	5610000	25000	200000	5835000
योग		187	1	1	189	30000	25000	200000	5610000	25000	200000	5835000

बिन्दु संख्या:02 (समिति द्वारा स्वीकृत किये गये 535 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 346 दावा प्रपत्र ऐसे है जिनका भुगतान शासनादेश संख्या: 52/2019/1115/पांच-9-2019-9(56)/12, दिनांक 21 अगस्त 2019) के अनुसार दुगुना किया जाना है, बजट का विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	जनपद का नाम	स्वीकृत दावा प्राप्त			कुल दावा प्रपत्रों की संख्या	कलेम धनराशि			कुल स्वीकृत धनराशि			कुल दावा प्रपत्रों की संख्या
		गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु		गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	
1	बाराबंकी	23	0	0	23	60000	50000	400000	1380000	0	0	1380000
2	बलरामपुर	0	0	0	0	60000	50000	400000	0	0	0	0

3	उन्नाव	7	0	0	0	7	60000	50000	400000	420000	0	0	420000
4	शाहजहाँपुर	17	0	0	17	60000	50000	400000	1020000	0	0	1020000	
5	अमेठी	2	0	2	4	60000	50000	400000	120000	0	800000	920000	
6	मेरठ	8	0	0	8	60000	50000	400000	480000	0	0	480000	
7	बदायूँ	2	0	0	2	60000	50000	400000	120000	0	0	120000	
8	सीतापुर	6	0	0	6	60000	50000	400000	360000	0	0	360000	
9	बुलन्दशहर	53	0	0	53	60000	50000	400000	3180000	0	0	3180000	
10	अलीगढ़	40	0	1	41	60000	50000	400000	2400000	0	400000	2800000	
11	बाँदा	0	0	0	0	60000	50000	400000	0	0	0	0	
12	बरेली	2	0	0	2	60000	50000	400000	120000	0	0	120000	
13	गोण्डा	8	0	0	8	60000	50000	400000	480000	0	0	480000	
14	देवरिया	12	0	0	12	60000	50000	400000	720000	0	0	720000	
15	गाजीपुर	4	0	0	4	60000	50000	400000	240000	0	0	240000	
16	हरदोई	19	0	0	19	60000	50000	400000	1140000	0	0	1140000	
17	हापुड	7	0	0	7	60000	50000	400000	420000	0	0	420000	
18	मैनपुरी	6	0	0	6	60000	50000	400000	360000	0	0	360000	
19	लखनऊ	3	0	0	3	60000	50000	400000	180000	0	0	180000	
20	पीलीभीत	12	0	0	12	60000	50000	400000	720000	0	0	720000	
21	बहराइच	5	0	0	5	60000	50000	400000	300000	0	0	300000	
22	कानपुर देहात	15	0	0	15	60000	50000	400000	900000	0	0	900000	
23	मथुरा	3	0	0	3	60000	50000	400000	180000	0	0	180000	
24	रामपुर	6	0	0	6	60000	50000	400000	360000	0	0	360000	
25	आगरा	12	0	0	12	60000	50000	400000	720000	0	0	720000	
26	मुजफ्फर नगर	5	0	0	5	60000	50000	400000	300000	0	0	300000	
27	हाथरस	8	0	0	8	60000	50000	400000	480000	0	0	480000	
28	वाराणसी	5	0	1	6	60000	50000	400000	300000	0	400000	700000	
29	मिर्जापुर	1	0	0	1	60000	50000	400000	60000	0	0	60000	
30	महोबा	0	0	0	0	60000	50000	400000	0	0	0	0	
31	इटावा	12	0	0	12	60000	50000	400000	720000	0	0	720000	
32	कृशीनगर	5	0	0	5	60000	50000	400000	300000	0	0	300000	
33	फिरोजाबाद	1	0	0	1	60000	50000	400000	60000	0	0	60000	
34	कौशांबी	1	0	0	1	60000	50000	400000	60000	0	0	60000	
35	चित्रकूट	0	0	0	0	60000	50000	400000	0	0	0	0	

36	प्रतापगढ़	2	0	0	2	60000	50000	400000	120000	0	0	120000
37	मुरादाबाद	0	0	0	0	60000	50000	400000	0	0	0	180000
38	बस्ती	3	0	0	3	60000	50000	400000	180000	0	0	60000
39	हमीरपुर	1	0	0	1	60000	50000	400000	60000	0	0	0
40	अयोध्या	0	0	0	0	60000	50000	400000	0	0	0	900000
41	अमरोहा	15	0	0	15	60000	50000	400000	900000	0	0	120000
42	सन्तकबीर नगर	2	0	0	2	60000	50000	400000	120000	0	0	360000
43	सुल्तानपुर	6	0	0	6	60000	50000	400000	360000	0	0	180000
44	औरैया	3	0	0	3	60000	50000	400000	180000	0	0	1600000
	योग	342	0	4	346	60000	50000	400000	20520000	0	1600000	22120000

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त किया गया।

(डा० दीपिका सैठ)

इम्यूनलड स्त्री रोग विशेषज्ञ,

अव० महि० चिकित्सालय, लखनऊ

सदस्य

(डा० ए०के० शर्मा)

सर्जन,

श्यांप्रसांमुख०, सिविल, अस्पताल, लखनऊ

सदस्य

(डा० सतन्द्र कुमार)

संयुक्त निदेशक (प०क०),

प०क० महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ

सदस्य सचिव

(डा० रेनु श्रीवास्तव वर्मा)

महानिदेशक,

संयोजक

(अपर्णा उपाध्याय),

मिशन निदेशक,

अध्यक्ष

23